#### **BPSC - 132**

#### **INDIAN GOVERNMENT AND POLITICS.**

#### **MOST IMPORTANT QUESTIONS**

#### HINDI AND ENGLISH BOTH

#### **MUST WATCH FOR DECEMBER 2024 EXAMINATION**

#### TOPIC-1

#### Meaning of Directive Principles of State Policy

The Directive Principles of State Policy are guidelines that the state must consider while making laws and formulating policies. Although these principles are not enforceable by the courts, they play a crucial role in shaping the state's governance. These principles, which aim to create a just society, were adopted after debates in the Indian Constituent Assembly from November 15, 1947, to October 17, 1949. They are inspired by the **Irish Constitution** and are part of **Part IV** of the Indian Constitution.

### राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत वे दिशानिर्देश हैं जिन्हें राज्य को अपने कानून बनाने और नीतियाँ बनाने के दौरान ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि ये सिद्धांत न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, फिर भी ये राज्य की शासकीय प्रक्रिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सिद्धांत एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के उद्देश्य से हैं, जिन्हें भारतीय संविधान सभा में 15 नवंबर 1947 से 17 अक्टूबर 1949 तक चर्चा के बाद अपनाया गया था। ये आयरिश संविधान से प्रेरित हैं और भारतीय संविधान के भाग IV का हिस्सा हैं।

#### **Directive Principles of State Policy Features**

The Directive Principles of State Policy have several key features:

- They are **non-justiciable**, meaning they cannot be enforced by the courts.
- They are fundamental to the governance of the country and are to be considered when making laws.

- They are based on **socio-economic rights**, such as the right to education, work, and property.
- Their main aim is to create conditions that allow citizens to lead a good life.
- They serve as a guide for the future legislature and executive. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की विशेषताएँ राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं:
- ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता।
- ये देश के शासन के लिए मूलभूत हैं और कानून बनाने के समय इनका ध्यान रखना चाहिए।
- ये सामाजिक-आर्थिक अधिकारों पर आधारित हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार।
- इनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अच्छा जीवन जीने के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है।
- ये भविष्य की विधायिका और कार्यपालिका के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं।

#### Legal Provisions of the Directive Principles of State Policy

Articles 36 to 51 in the **Indian Constitution** deal with the Directive Principles. They are not legally enforceable by the courts, but they are fundamental to the country's governance. The principles aim to guide the government in shaping laws related to **social justice**, **economic welfare**, and **human rights**.

#### राज्य नीति के निर्देश<mark>क</mark> सिद्धांतों के कानूनी प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं। ये न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन ये देश के शासन के लिए मूलभूत हैं। ये सिद्धांत सरकार को सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण, और मानवाधिकार से संबंधित कानूनों को आकार देने में मार्गदर्शन करने का उद्देश्य रखते हैं।

#### Differences Between Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy

- Fundamental Rights are justiciable, meaning courts can enforce them. Directive Principles, however, are non-justiciable.
- Fundamental Rights restrict the state's actions, while Directive Principles guide the state in welfare policies.

- Fundamental Rights are negative (restrictive), while Directive Principles are positive (they direct action for welfare).
  मूलभूत अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर
- मूलभूत अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं किए जा सकते।
- मूलभूत अधिकार राज्य की क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांत राज्य को कल्याणकारी नीतियों में मार्गदर्शन करते हैं।
- मूलभूत अधिकार नकारात्मक (प्रतिबंधात्मक) होते हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक (कल्याण के लिए कार्रवाई निर्देशित करते हैं) होते हैं।

#### Conclusion

The main goal of the **Directive Principles** is to establish a **welfare state** where every citizen has guaranteed basic rights, and no one is exploited. While these principles are not enforceable in courts, they provide important guidelines for the government's legislative and policy-making processes. These principles are vital in the pursuit of **social and economic democracy** in India.

### निष्कर्ष

निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जहाँ प्रत्येक नागरिक को सुनिश्चित बुनियादी अधिकार मिलते हैं और कोई भी शोषण नहीं होता। जबकि ये सिद्धांत न्यायालयों में लागू नहीं किए जा सकते, ये सरकार के विधायी और नीति-निर्माण प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की प्राप्ति में महत्वपूर्ण हैं।

#### TOPIC - 2

#### Fundamental Duties in India

#### **Meaning of Fundamental Duties**

Fundamental Duties are a set of moral obligations that every citizen in India is expected to follow to contribute to the welfare of the country. These duties were added to the Constitution by the **42nd Amendment Act of 1976** under **Article 51A**. The main objective of these duties is to ensure that citizens understand their responsibilities towards the nation and promote national unity, integrity, and harmony.

#### मूलभूत कर्तव्यों का अर्थ

मूलभूत कर्तव्य वे नैतिक दायित्व हैं जिन्हें भारत का प्रत्येक नागरिक देश की भलाई में योगदान देने के लिए पालन करने की उम्मीद करता है। ये कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 51A में संविधान में जोड़े गए थे। इन कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सौहार्द को बढ़ावा दें।

#### List of 11 Fundamental Duties

Abide by the Constitution and Respect the National Flag & Anthem Follow the Ideals of the Freedom Struggle Protect the Sovereignty and Integrity of India Defend the Country and Render National Services When Called Upon Develop the Spirit of Common Brotherhood Preserve the Composite Culture of the Country Preserve the Natural Environment Develop Scientific Temper and Humanism Safeguard Public Property and Avoid Violence Strive for Excellence in All Spheres of Life Duty of Parents/Guardians to Send Children Aged 6-14 Years to School

# मूलभूत कर्तव्यों की सूची

संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज एवं गान का सम्मान करना स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना देश की रक्षा करना और जब बुलाया जाए तो राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना सामूहिक भाईचारे की भावना को विकसित करना देश की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करना प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद को विकसित करना सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से बचना

जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना

6-14 वर्ष आयु के बच्चों को स्कूल भेजने का कर्तव्य

#### **Enforcement of Fundamental Duties**

Fundamental Duties are **non-justiciable**, meaning they are not enforceable by courts. The Constitution does not provide any law for the direct enforcement or punishment of these duties. However, the government can pass laws related to **public welfare** that encourage citizens to follow these duties. **मूलभूत कर्तव्यों की प्रवर्तन** 

मूलभूत कर्तव्य **न्यायिक रूप से लागू नहीं किए जा सकते**, अर्थात ये न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। संविधान इन कर्तव्यों के सीधे प्रवर्तन या उल्लंघन पर दंड के लिए कोई कानून नहीं प्रदान करता। हालांकि, सरकार **सार्वजनिक कल्याण** से संबंधित कानून बना सकती है जो नागरिकों को इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

#### **Criticism of Fundamental Duties**

1. Lack of Enforcement Mechanism

The absence of an enforcement mechanism is the primary criticism, as there is no law to punish individuals who do not follow these duties.

#### 2. Incompleteness

Some essential subjects like paying taxes, voting, and family planning are not included in the list of fundamental duties, which some experts feel should be there.

#### 3. Vague Definitions

Many of the duties are not clearly defined, making them difficult to interpret and implement effectively.

## मूलभूत कर्तव्यों की आलोचना

### 4. प्रवर्तन तंत्र की कमी

प्रवर्तन तंत्र की कमी मुख्य आलोचना है, क्योंकि उन व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कोई कानून नहीं है जो इन कर्तव्यों का पालन नहीं करते।

## अपूर्णता

कुछ आवश्यक विषय जैसे करों का भुगतान, मतदान और परिवार नियोजन मूलभूत कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं हैं, जिन्हें कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें होना चाहिए था।

### 6. संगत परिभाषाओं की कमी

कई कर्तव्यों की परिभाषाएँ स्पष्ट नहीं हैं, जिससे इनका सही तरीके से व्याख्या और कार्यान्वयन करना कठिन हो जाता है।

#### TOPIC-3

#### **Evolution of Multi-Party System in India**

The evolution of the multi-party system in India is a story of significant political changes since the country's independence in 1947. Initially, the Indian National Congress (INC) dominated the political landscape, continuing its legacy from the National Movement. For the first two decades post-independence, Congress had a stronghold on power, and the country's political system was largely a one-party system. Congress was able to unite various social groups under one banner due to its organizational strength.

# भारत में बहुपार्टी प्रणाली का विकास

भारत में बहुपार्टी प्रणाली का विकास 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनों की कहानी है। प्रारंभ में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हावी थी, जो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत को आगे बढ़ा रही थी। स्वतंत्रता के बाद पहले दो दशकों तक, कांग्रेस का सत्ता पर मजबूत नियंत्रण था, और देश की राजनीतिक प्रणाली मुख्यतः एकपार्टी प्रणाली थी। कांग्रेस अपनी संगठनात्मक शक्ति के कारण विभिन्न सामाजिक समूहों को एक मंच पर एकजुट करने में सक्षम थी।

However, the socio-economic shifts in the 1960s and 1970s led to the emergence of new political forces. As India's political landscape became more complex, new parties representing middle peasants, backward castes, and Dalits began to gain prominence. The failure of Congress to accommodate the growing demands of these groups weakened its position, and by the end of the 1980s, the Congress System crumbled, paving the way for a multi-party system. This led to the rise of coalition governments at both the Union and state levels. For example, the National Democratic Alliance (NDA), led by the Bharatiya Janata Party (BJP), and the United Progressive Alliance (UPA), led by the Indian National Congress (INC), represent such coalitions.

## हालांकि, 1960 और 1970 के दशक में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के कारण नए राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ। जैसे-जैसे भारत का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अधिक

जटिल हुआ, मध्य किसान, पिछड़ी जातियों और दलितों को प्रतिनिधित्व करने वाली नई पार्टियाँ प्रमुखता प्राप्त करने लगीं। कांग्रेस द्वारा इन समूहों की बढ़ती मांगों को समायोजित न करने के कारण इसकी स्थिति कमजोर हो गई, और 1980 के दशक के अंत तक कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो गई, जिससे बहुपार्टी प्रणाली की दिशा में रास्ता साफ हुआ। इसने केंद्र और राज्य स्तरों पर गठबंधन सरकारों का उदय किया। उदाहरण के लिए, भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा नेतृत्व किए गए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) द्वारा नेतृत्व किए गए संयुक्त प्रगति गठबंधन (UPA) इस तरह के गठबंधनों का उदाहरण हैं।

#### Examples

Various political parties like the BJP, INC, Communist Party of India (CPI), Samajwadi Party (SP), Bahujan Samaj Party (BSP), and regional parties such as the Shiromani Akali Dal (SAD), Aam Aadmi Party (AAP), and DMK contest general elections. Coalitions like NDA (led by BJP) and UPA (led by INC) often form to create a government.

#### उदाहरण

भारत में विभिन्न राजनीतिक दल जैसे भारतीय जनता पार्टी (ВЈР), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (СРІ), समाजवादी पार्टी (SP), बहुजन समाज पार्टी (ВЅР), और क्षेत्रीय दल जैसे शिरोमणि अकाली दल (SAD), आम आदमी पार्टी (ААР), और द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (DMK) आम चुनावों में भाग लेते हैं। गठबंधन जैसे NDA (जो ВЈР द्वारा नेतृत्वित है) और UPA (जो INC द्वारा नेतृत्वित है) अक्सर सरकार बनाने के लिए गठित होते हैं।

#### Advantages of the Multi-Party System

#### 1. Representation of Diverse Interests

It allows for the representation of various social, economic, and regional groups, making the government more inclusive.

#### विविध हितों का प्रतिनिधित्व

यह विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है, जिससे सरकार अधिक समावेशी बनती है।

#### 2. Peaceful Government Transition

A multi-party system encourages peaceful changes in government as parties wait for their turn to come into power, reducing the likelihood of forceful transitions.

# शांतिपूर्ण सरकार परिवर्तन

बहुपार्टी प्रणाली सरकार में शांतिपूर्ण परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि दल अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जिससे मजबूर बदलाव की संभावना कम होती है।

### 3. Fosters Opposition and Criticism

The presence of opposition parties enables constructive criticism of the government's policies, ensuring accountability.

### विपक्ष और आलोचना को बढ़ावा देना

विपक्षी दलों की उपस्थिति सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना को सक्षम बनाती है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

### 4. Federalism

The multi-party system strengthens India's federal structure, ensuring better representation of regional issues and concerns.

#### संघीयता

बहुपार्टी प्रणाली भारत की संघीय संरचना को मजबूत करती है, जिससे क्षेत्रीय मुद्दों और चिंताओं का बेहतर प्रतिनिधित्व होता है।

#### Disadvantages of the Multi-Party System

#### 1. Difficulty in Forming Stable Governments

Often no single party wins an absolute majority, making it hard to form a stable government. Coalitions formed may be weak and prone to breaking.

## स्थिर सरकारों का निर्माण में कठिनाई

अक्सर कोई एक पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं जीतती, जिससे स्थिर सरकार बनाना मुश्किल हो जाता है। गठबंधन कमजोर हो सकते हैं और टूटने की संभावना होती है।

### 2. High Election Costs

Political parties spend large sums on campaigns, advertisements, and rallies, which can be financially draining.

### उच्च चुनावी खर्च

राजनीतिक दल चुनावों, विज्ञापनों और रैलियों पर भारी खर्च करते हैं, जो वित्तीय दृष्टि से थकावट पैदा कर सकते हैं।

### 3. National Divisions

Multiple parties competing for dominance can lead to unhealthy rivalry, dividing the nation along political lines and hindering progress.

### राष्ट्रीय विभाजन

सत्तां की होड़ में प्रतिस्पर्धा करने वाले कई दलों से अनहेल्दी प्रतिद्वंद्विता पैदा हो

सकती है, जो देश को राजनीतिक रेखाओं के आधार पर विभाजित कर सकती है और प्रगति को बाधित कर सकती है।

#### 4. Voter Confusion

With too many parties in the fray, voters may find it difficult to make a choice, leading to confusion.

#### मतदाता भ्रम

जब चुनाव में बहुत सारे दल होते हैं, तो मतदाताओं के लिए चुनाव करना कठिन हो सकता है, जिससे भ्रम उत्पन्न हो सकता है।

COMMENT FOR PART-2

FOR PDF VISIT MY WEBSITE hindustanknowledge.com